P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XII*August-2015

मानवाधिकार एवं महिलाएं

सुखजीत कौर
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
सूरतगढ़

सारांश

विश्व के प्राचीन समाजों से मानवाधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों को संवैधानिक कानूनों के द्वारा निशिचित कर दिया गया है। मानवाधिकारों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था को दिया गया। समाजों में परम्पराओं, अंधविश्वास, संकीर्ण मानसिकता के कारण, महिलाओं के साथ भेदभाव से, महिलाओं को पुरूषों के सामान मानवाधिकार नहीं मिल पाते, जब कि कानून बिना किसी भेदभाव के अधिकार देता है। महिलायें समाज मे किसी न किसी रूप से शोषित है। अन्याय, उत्पीड़न सहने को मजबूर है। समाज की यह स्थिति चिंताजनक है।

महिलाओं को समाज में बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकार उपलब्ध हो, जिससे महिला के व्यक्तित्व का विकास हो और उसके व्यक्तित्व गरिमा का सम्मान हो। मानवाधिकार के इस लेख में इन्हीं बिन्दुओं पर विस्तार से व्याख्या और चर्चा की गई है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानवाधिकार का अर्थ, प्राचीन समाजों में महिला की स्थिति, महिला की शोचनीय स्थिति, महिला उत्पीड़न के कारण, महिला कानूनी प्रावधान, महिला जागरूकता, महिला सुधार सुझाव

प्रस्तावना

मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानवाधिकारों की अवधारणाए अत्यधिक प्राचीन है। यह धारणा लगभग उतनी हो प्राचीन है जितना कि प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त। इन सब बातों के होते हुए "मानवाधिकार" की उत्पत्ति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् हुई। निरंकुशता एवं शक्तियों की कमियों के विरूद्ध, मनुष्य का संघर्ष एक राजनीतिक समाज में सुसम्य जीवन के प्रारम्भ होने से उनक अधिकारों के प्राख्यानों से हुआ। बार–बार असफलता के बावजूद संघर्ष निरन्तर चलता रहा। संघर्ष मनुष्य को एक कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने के लिए खोज की दिशा में ले जाता हैं सामाजिक दुर्व्यवस्था में एक ऐसे प्राकृतिक न्याय की सहायतार्थ मांग को जन्म दिया जो कारण न्याय, स्थिरता एवं उस सर्वव्यापकता की एक मूर्तिवता थी। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त केवल एक आदेश विचार ही बने रहे। कारण कि इस प्रकार के अधिकारों का कोई सहमति प्राप्त सूची पत्र नहीं था। इनको लागू किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

मानव अधिकार अर्थ

अधिकार को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है कि अधिकार कुछ करने या सीखने की स्वाधीनता है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। अधिकार की अवधारणा की प्रगति धीरे–धीरे हुई। विधिक अधिकार जो किसी विशेष विधि के दायरे में आने वाल व्यक्ति को उस विधि के द्वारा प्राप्त होते है।

मूल अधिकार

मानव होने के नाते व्यक्ति को जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों में जैसेः– सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र परिस्थितियां प्राप्त हो। यह स्वतंत्र विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियां मूल अधिकार है जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्तित्व का विकास रूक जायेगा। अधिकार की अवधारणा का विकास, आगे जाकर मानवाधिकार के रूप में हुआ।

मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त है। भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, वर्ग और सामाजिक, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से सम्बन्धित इन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। अन्तराष्ट्रीय करारों में वर्णित है। इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से

विकास कर पाता है जिससे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व विकसित होता है। वंचित होने पर व्यक्ति मानवता से वंचित हो जाता है।

आधुनिक काल में पुनर्जागरण के दौर के बाद प्राकृतिक न्याय प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना हुई। प्राकृतिक न्याय के अनुसार व ही अधिकार माने योग्य है जो तर्कसंगत और प्रकृति से संगति रखते है। 1776 में अमरीकी क्रांति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि हमारे लिए सभी मनुष्य जन्म से समान है। 1789 की फ्रांस क्रांति हुई जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को संवैधानिक कानूनों के द्वारा हर नागरिक को अधिकार दिये गये।

अप्रैल 1945 में सान फ्रांसिस्को में चार महाशक्तियों के एक ड्राफ्ट (चार्टर) पर विचार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकृत किया।

प्रस्तावना में कहा गया "हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मूल मानवाधिकार में, मानव जाति की गरिमा और मूल्य में स्त्री–पुरूष समान अधिकार में आस्था सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित"

संयुक्त राष्ट्र संघ ने फरवरी 1946 मानवाधिकार आयोग बनाया विश्व के राष्ट्रों में मानवाधिकारों रिपोर्ट पर चर्चा करता है। आयोग व्यक्तिगत प्रार्थनायें स्वीकारता है। जांच की जाती है अन्तराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का उत्तरदायित्व है कि ऐसे कदम उठाये, जिनसे मानवाधिकारों अधिकारों के प्रति जागरूकता इनकी सुरक्षा और विकास का, उद्देश्य मानवता का केन्द्र बिन्दु बने। विश्वभर के लोगों के लिए मानवाधिकार तथा स्वतंत्रतायें उनके जीवन स्तर को उच्चतर बनाने, जीवन के उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने (UNO) इन दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र चार्टर में लागू किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतू पूरे विश्व में 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर राष्ट्र 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम जैसेः– विचारगोष्टी, सेमीनार, रैलिया, प्रतियोगितायें कराई जाती है। मानवाधिकार दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक, सर्तक, प्रोत्साहित, मार्गदर्शित करना है। लोकतांत्रिक राष्ट्र मानवाधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान करता है। भारत ने भी नागरिकों को संविधान में मौलिक अधिकार दिये है। बिना किसी भेदभाव के स्त्री पुरूष को समान रूप से मौलिक अधिकार दिये गये है।

मानवाधिकार और महिलायें–प्राचीन समाजों में महिला की स्थिति

प्राचीनकाल में गुरू शिष्यों को शिक्षा देता था कि माता–पिता की पूजा देवता की तरह करो। भारतीय संस्कृति में महिला को देवी माना जाता है भारतीय इतिहास में दुर्गावती, झांसी की रानी आदि नामों से भारत का इतिहास समृद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान रहा है। मुगल शासन में स्त्रियों को असुरक्षा के कारण पर्दाप्रथा, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं का शिकार होना पड़ा शायद तभी शक्ति स्वरूप दुर्गा प्रतीक नारी को अबला की संज्ञा मिली। महिला उत्पीड़न की बात यही से पल्लवित हुई।

इस समय भारतीय समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये। भारतीय समाज सुधारक राजाराम मोहन राय, विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती इन समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधार का बीड़ा उठाया। इस समय स्त्रियों ने घरो में ही सही, गलत तरीके से धार्मिक कृत्य उपवास, पूजा पाठ करती रही।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति व्यापक बदलाव आया। पहले जिस समाज में कन्या का जन्म अभिशाप माना जाता था। उसे उचित खान–पान शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। शिक्षा प्रसार से माता पिता की अवधारणा में परिवर्तन आया कि लड़कियां माँ, बाप के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। जीवन के हर क्षेत्र चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र, बैंक, चिकित्सा, अन्तरिक्ष, न्यायाधीश आदि हर क्षेत्रों में महिलायें आगे आ रही है। सफलतापूर्वक जिम्मेदारी निभा रही है। नारी कमजोर नहीं पुरूष की शक्ति है। सफल पुरूष के पीछे नारी का हाथ होता है। सफल महिला के पीछे पुरूष का हाथ होता है। दोनों पारस्परिक सहयोग से मानव जाति निरन्तर चलती है।

महिला की शोचनीय स्थिति

समय, सत्ता शासन, प्रशासन सभी बदलते रहे। लेकिन वह आज भी अपने अस्तित्व की खोज में लगी है। आज के सूचना प्रौद्योगिक इन्टरनेट और अंतरिक्ष के युग में जहां नारी न अन्तरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर ली है वहां अनेक परिवारों तथा समाज में नारी को जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती। भारत के संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किये है। किन्तु आज भी महिला के साथ भदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाता है। उन्हें विकास के समुचित अवसर नहीं मिलते। महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर पुरूषों का नियंत्रण कायम रहता है। जीवन व समाज की पहली इकाई परिवार से लेकर समस्त शीर्ष स्तरों पर वे उपेक्षा का शिकार होती हैं उनके ही विकास में उनकी भागीदारी व योगदान को प्रायः महत्त्वहीन समझा जाता है। भारत में सामाजिक परम्पराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास, धार्मिक कृत्यों, संकीर्ण सोच में जकड़ा जाता है। नारी समस्या इन्हीं बुराईयों की देन है। पुत्री को जन्म देने वाली महिला को प्रताड़ित किया जाना भी धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। धर्म में कहा गया कि पुत्र मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मान्यता की पुत्र पिता को नरक से बचाता है। आज के समाज में संकीर्ण सोच धूमिल हो रही है।

भारत जैसे देश में तो दहेज की मांग करते हुए महिला वर्ग पर अत्याचार तथा परिवार और समाज में महिला वर्ग के लिए अपमानजनक स्थिति आए दिन का घटनाक्रम बन गया है। पति की मृत्यु पर पत्नी को जिंदा जलाना उसे सती का नाम देने अमानवीय घटनायें घटित होती थी।

मुस्लिम देशों में महिलायें 18वीं 19वीं सदी से उत्पीड़न की बर्बरता जीवन में वर्तमान तक ढो रही है। समाज का बड़ा वर्ग स्त्रियों पर धर्म, परम्पराओं के नाम पर अमानवीय अत्याचार करने में अभी भी आगे है।

विशेषतयः महिलायें ही महिलाओं पर अत्याचार करने में सबसे आगे है। जन्म के साथ पुत्र–पुत्री में भेदभाव, महिला वर्ग पर अत्याचार का प्रारम्भ है। स्वयं महिला, दादो, नानी द्वारा किया जाता है।

माता का यह व्यवहार पुत्री में आत्महीनता पुत्र में झूठे अहंकार को जन्म देता है।

महिला उत्पीड़न के कारण

महिला वर्ग की की गिरी स्थिति के कारणः–

1. महिलाओं में शिक्षा का अभाव
2. महिला की आर्थिक निर्भरता
3. जागरूकता का अभाव
4. उत्पीड़न का विरोध न करना
5. सर्तकता का अभाव

भारत में 63.86% पुरूष साक्षर है। महिलाओं में साक्षरता की दर 39.42% है। यह आंकड़ा भारत सरकार की 1991 की जनगणना के अनुसार है।

महिलायें पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता के कारण पुरूष वर्ग के अत्याचारों को सहने को बाध्य है इससे आत्महीनता उत्पन्न होती है।

महिला अधिकारों की सुरक्षा के कानूनी प्रावधान

समाज सुधारकों और स्त्री संगठनों के प्रयत्नों परिणाम स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए भारत में स्त्री–पुरूष को समान अधिकार दिये गये। 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम, दहेज विरोध कानून, विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था, बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबन्ध, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, कन्या भ्रूण हत्या अपराध आदि कानूनी प्रावधानों द्वारा महिला के शोषण को रोकने की व्यवस्था की गई है।

महिला जागरूकता

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही स्त्रियां समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु स्त्री आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम चेन्नई में महिला संगठन का गठन हुआ। इस संगठन ने महिला को जागरूक और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वह अपने अस्तित्व को पहचानकर अपनी क्षमताओं का विकास करे। अपने परिवार, समाज, देश के विकास में अपना अनमोल योगदान दे सके।

इसके पश्चात् विभिन्न महिला संगठनों के प्रयत्न से देश में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। 1927 में पूणे में इसका अधिवेशन हुआ। इस संगठन ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक प्रयत्न किये। इस संगठन के आगे चलकर बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि का विरोध किया। इस संगठन के अलावा विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गाँधी स्मरक ट्रस्ट संगठनों ने स्त्रियों की अयोग्यता को दूर करने, सामाजिक बुराईयों को दूर करने, स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के कार्य किये। भारत में महिला संगठनों की संख्या बहुत कम है। महिलाओं के ऐसे संगठनों की आवश्यकता है। भारत में कुछ महिला संगठनों ने स्त्रियों में चेतना जागृत करने और स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से प्रयत्न किये है।

1. राष्ट्रीय महिला आयोग
2. राज्य महिला आयोग

यह संगठन महिलाओं की समस्याओं पर सरकार पर भी दबाव बनाता है। महिलाओं को न्याय दिलाने में सहयोग करते है। हर तरह का सहयोग महिला को देते है।

सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से हमने कोई विकास नहीं किया मध्ययुग में कन्या को जन्म के बाद मार दिया जाता था। आज वैज्ञानिक तकनीकी युग में कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है जिससे लड़के, लड़की का अनुपात असमान्य है। संकीर्ण मानसिकता के धारण अपराध घोषित किया गया जनजागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** जन अभियान चलाया गया।

सुझाव

महिला की समस्या का समाधान कानून के द्वारा करे, कानून का पालन करने की व्यवस्था करे। सरकार, पुलिस, संगठन सक्रिय होकर महिला को सुरक्षा व न्याय दिलायें। सभी स्तर पर कर्त्तव्य पालन निष्ठा से किया जाये जिससे शोषित महिला को न्याय मिले। महिला को जागरूक, सर्तक रहने की आवश्यकता है। एक जुटता से पीड़ित महिला का साथ देकर विरोध करे जिससे उसमें साहस उत्पन्न हो जिससे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास से व्यक्तित्व हो। इसके लिए महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, शोषण, अन्याय से सुरक्षा, आत्मसम्मान दिलाने की व्यवस्था सरकार करे यह नितान्त आवश्यक है।

हर महिला स्वयं जागरूक, सर्तक, शिक्षित बने अपने व्यक्तित्व में क्षमताओं का विकास करके स्वयं आत्म सम्मान से जीये। शोषित महिला हर स्तर चाहे परिवार, समाज पर उत्पीड़न का विरोध करे। महिला अपमान, अन्याय को भाग्य न समझे, महिला जागरूक, सर्तक होकर शोषण अन्याय का एक जुट होकर विरोध करे। जब वह शिक्षित होगी तभी जागरूक सर्तक होकर एकजुट होगी। तभी महिला अपने जीवन में खोया हुआ सम्मान, न्याय, सुरक्षा, विकास हासिल कर सकती है। समाज की 50 प्रतिशत महिला को सभ्य समाज निर्मित करने की प्रभावी भूमिका का अवसर प्राप्त होगा।

महिला के आत्मसम्मान से सभ्य सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा जिस घर परिवार में, समाज में नारी का सम्मान होता है। वहां ईश्वर निवास करता है। शांति और विकास की खुशियां रहती है। इन्हीं शुभ आशाओं से।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुधारानी श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव, मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न।
2. डॉ. मनीष कुमार, महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा।
3. डॉ. चेतन मेहता, महिला एवं कानून।
4. डॉ. बसन्तीलाल बावेल, पुलिस प्रशासन, अन्वेषण एवं मानवाधिकार।
5. डॉ. दिलीप जाखड़, मानवाधिकार।
6. डॉ. अनिलधर, पूजा शर्मा, गांधी दर्शन, शांति मानवाधिकार।